GR-168/02, TR-681/19

07.08.19

आवेदक सुबोध सहनी की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन के विद्वान सहायक लोक अभियोजक को दी गई है । वाद पुकारा गया। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अभियुक्त जमानत पर थे और पैरवी के अभाव में उनका बंधपत्र खडिंत कर दिया गया है । आवेदक बंधपत्र खडिंत पश्चात नियमित जमानत या अग्रिम जमानत हेतु आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किए हैं। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है जिसका सुलहनामा जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। अतः जमानत हेतु प्रार्थना है।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि मामला जमानत के दुरुपयोग का है । इनका बंधपत्र पैरवी के अभाव में खंडित हो गया । उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है जिसका सुलहनामा जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। अतः जमानत हेतु प्रार्थना है।

अतः अभियुक्त को मो० 5000/- रुपए के समान राशि के दो प्रतिभु द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वाद के निष्पादन तक अभियुक्त सदेह उपस्थित रहेंगे तथा अभियुक्त को मो० 200/- रुपये फोरफिट फाइन नजारत मे जमा करेंगे।

लेखापित

न्या० दण्डा०

बाद में

07.08.19

उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंधपत्र साथ जमानतदारों का शपथ पत्र साथ नाजिर रशिद संख्या- 596477 दिनांक- 07.08.19 दाखिल किया गया जिसे जांचोंपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा०